पाठ - 3
ज़बह के अहकाम

الدرس الثالث - هندي
أحكام الذكاة

खुश्की में रहने वाले जानवरों के हलाल होने के लिए शत यह है कि उसे शरओ तरीक़े से ज़बह किया जाए। इसके लिए खुश्की में रहने वाले उन जानवरों को जिनका गोश्त खाया जाता है ज़बह करने के लिए उनकी गर्दन और खूराक की नली को काट दिया जाता है और जिस जानवर के साथ ऐसा संभव न हो उसकी कोंचें काट दी जाती हैं।

जिस हैवान को ज़बह करने पर क़ुदरत हासिल हो उसे ज़बह किए बिना उसका कोई भी हिस्सा हलाल नहीं है इस लिए कि बिना ज़बह हुआ जानवर मुर्दार के हुक्म में रहता है।

ज़बह करने की शर्तें

1. ज़बह करने वाले इस काम के लिए योग्य हो अर्थात यह कि वह आक़िल व मुसलमान या आक़िल और किताब वालों में से हो। अतएव पागल, नशा की वजह से मदहोश और छोटे बच्चे जो समझ ना रखते हों का ज़बह किया हुआ जानवर जायज़ नहीं होगा, इस लिए कि ये लोग होश व हवास और अक़्ल से महरूम होने की वजह से ज़बह की नीयत व इरादा भी सही तौर पर नहीं कर सकते। इसी तरह काफ़िर, मूर्ति पूजक, मजूसी और क़ब्र परस्त का ज़बीहा भी जायज़ नहीं है।
2. ज़बह करने के आले (यंत्र) का मौजूद होना। हर प्रकार के तेज़ धार वाले हथियार से जानवर को ज़बह करना जायज़ है जिससे जानवर का खून बह जाए चाहे वह हथियार लोहे का हो या किसी दूसरी चीज़ का हो, हां अलबत्ता हड्डी या नाखून से जानवर को ज़बह करना जायज़ नहीं है।
3. गर्दन को काटनाः इससे मुराद सांस की गुजरगाह है। ज़बह करते समय गर्दन के साथ खूराक की नाली और दो शह रगों को काटना भी ज़रूरी है। ज़बह करने के लिए जानवर की इस खास जगह का तै करना और उसके इन खास अंगों को काटने की हिकमत यह है कि इसकी वजह से खून तेज़ी के साथ बह जाता है इस लिए कि यह जगह रगों के इकट्ठा होने का मक़ाम है इन जगहों पर छुरी चलाने से रूह तेज़ी के साथ निकल जाती है इसकी वजह से जानवर का गोश्त बड़ा अच्छा होता है और जानवर को तकलीफ़ भी कम होती है। पकड़ से बाहर होने की वजह से जिन जानवर को इन जगहों पर ज़बह करना और छुरी चलाना संभव न हो जैसे शिकार आदि तो फिर उसके लिए ज़बह यही है कि उसके जिस्म के किसी हिस्सा को घायल किया जाए और जो जानवर घायल हो गया या गला घुटने से या किसी चीज़ के ज़ोर से लगने से या ऊंचाई से गिर पड़ा हो या किसी दूसरे जानवर की सींग से घायल हो गया हो या उसे दरिन्दे ने चीर फ़ाड़ दिया हो तो ऐसे तमाम जानवरों को इस शर्त के साथ खाना हलाल है कि वह ऐसी हालत में मिल जाए जबकि उसके अन्दर ज़िन्दगी की कोई रमक़ मौजूद हो फिर उसे शरओ तरीक़े से ज़बह कर दिया जाए।
4. ज़बह करने वाले जानवर को ज़बह करते समय बिस्मिल्लाह कहे और बिस्मिल्लाह के साथ अल्लाहु अकबर कहना सुन्नत है।

ज़बह के शिष्टाचार : 1. ऐसे हथियार से जानवर को ज़बह करें जो तेज़ हो।
2. हथियार को जानवर के सामने तेज़ करना मकरूह है।
3. ज़बह करते समय जानवर को किब्ला रुख़ करना अफ़ज़ल है।
4. जानवर की गर्दन तोड़ना और जान निकल जाने से पहले उसका चमड़ा उतारना मकरूह है। सुन्नत यह है कि गाय और बकरी को बाएं पहलू पर लिटा कर ज़बह किया जाए और ऊंट को खड़ा करके उसके अगले बाएं पांव को बांध कर नहर किया जाए।